बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

मीठापुर, पटना–800001(बिहार)

दूरभाषः–0612,2356912,2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

वाहनों को किराये पर लेने के लिए अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सूचना/संचिका सं०–2043/2024/839 पटना, दिनांक–12/07/2024

विषयः– मासिक भाड़े/दैनिक भाड़े (On Call Basis) पर विश्वविद्यालय में वाहन की आपूर्ति हेतु अल्पकालीन निविदा।

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के विभागीय पदाधिकारियों, परीक्षा से संबंधित कार्यों एवं अन्य आवश्यक कार्यों के उपयोग हेतु मासिक/दैनिक भाड़े पर वाहन, जिनका निबंधन वाणिज्यक वाहन के रूप में हो, की आपूर्ति हेतु निबंधित संस्थानों/फर्मों से अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। अल्पकालीन निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक–25.07.2024 के अपराह्न 05:30 बजे तक निबंधित स्पीड पोस्ट या हाथों–हाथ अथवा डाक द्वारा विश्वविद्यालय के प्राप्ति शाखा में किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त निविदाओं को दिनांक–26.07.2024 के अपराहन 03:00 बजे विश्वविद्यालय के Conference Room में निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबन्द मुहरबंद लिफाफों में देना होगा। निविदा की शर्तें विश्वविद्यालय के वेबसाईट WWW.buhs.ac.in पर प्राप्त (Download) किया जा सकता है। जमानत की राशि रू0–50,000/– (पचास हजार रूपये) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में कुलसचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के पदनाम से पटना में भुगतेय हो, तकनीकी निविदा के साथ जमा करना होगा।

कुलपति के आदेशानुसार

12/7/2024

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,

पटना ।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को EMD के रुप में 50,000/– (पाचस हजार रूपया) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो **राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्गत "कुलसचिव बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय'** के पक्ष में देय हो, की मूल प्रति संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट की स्कैन की गई कॉपी मान्य नहीं होगा। EMD की राशि निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी। केन्द्रीय क्रय संगठन राज्य क्रय संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉरपोरेशन (एन०एस०आई०सी०) अथवा संबंधित विभागों में पंजीकृत फर्म को उक्त बोली प्रतिभूति जमा करने में छूट ले सकते है, बशर्ते तत्संबंधी अभिलेखों की प्रति जिसमें उक्त कार्य हेतु प्राधिकृत किया गया हो, संलग्न करना होगा। MSME संस्थानों को नियमनुसार EMD से छूट प्राप्त होगा।

2. निविदादाता फर्म/संस्थान को GST में निबंधित होने का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा एवं अद्यतन GST Return की कॉपी (माह मई, 2024 तक) संलग्न करना होगा।

3. PAN कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा ।

4. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम/निगम या किसी भी अन्य संस्थान द्वारा काली सूची अथवा डिबार नहीं होने तथा किसी आपराधिक मामलों में नाम दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र देना होगा। (Notarized Affidavit)

5. समरूप मामलों में कार्य करने से संबंधित न्यूनतम तीन वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

6. निविदादाता को विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न अद्यतन वित्तीय वर्ष 2020–2021, 2021–2022 एवं 2022–2023 तक संलग्न करना होगा ।

7 निविदादाता काविगत 03 वर्षों में न्यूनतम वार्षिक औसत टर्नओवर 50,00,000/(पचास लाख रूपये) मात्र होना चाहिए ।

8. निविदादाता द्वारा निविदा में दर्शाए गए सभी शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित शपथपत्र स्वहस्ताक्षरित संलग्न करना होगा ।

9. निविदादाता तकनीकी निविदा से संबंधित सभी कागजात एक लिफाफा में रखकर उसे सील बंद करते हुए लिफाफा के ऊपर विश्वविद्यालय में वाहन आपूर्ति हेतु तकनीकी निविदा लिखेंगे एवं वित्तीय निविदा प्रारूप में दर अंकित कर इसे एक दूसरे लिफाफा में रखकर सील बंद करते हुए लिफाफा के ऊपर बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,पटना में वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा लिखेंगे,तत्पश्चात तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का अलग–अलग लिफाफा के दाहिने साईड पता कुलसचिव बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,मीठापुर पटना पिन कोड–800001 एवं बायें साईड में फर्म का नाम अंकित करेंगे।

10. निविदादाता सीलबंद निविदा इस तरह भेजेंगे कि प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय तक डाक प्राप्ति शाखा में निविदा प्राप्त हो जाए। अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

11. निविदादाता विश्वविद्यालय के डाक प्राप्ति शाखा में अंतिम तिथि एवं समय तक हाथों–हाथ भी निविदा जमा कर सकते है ।

12. निविदादाता निविदा शर्तों के संबंध में किसी बिन्दु पर कुलसचिव बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर पटना से कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर सकते है।

(ख) <u>वित्तीय निविदा की शर्तें</u>

1 तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं को वित्तीय निविदा खोलने पर विचार किया जायेगा। निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को (प्रारूप) में वाहन का मासिक/दैनिक दर (न्यूनतम कि०मी० के साथ प्रति कि०मी०) दर 1500 कि०मी० प्रति माह (इंधन एवं चालक सहित) (without GST) देना होगा। निविदादाताओं को सभी श्रेणी के वाहनों का दर शब्दों एवं अंको दोनों में अंकित करना होगा। यदि शब्दों एवं अंको में अंकित दर में अंतर होता है, तो शब्दों में अंकित दर मान्य होगी।

2 निविदा के माध्यम से मासिक भाड़े/दैनिक के अन्तर्गत वाहन 1500 किलोमीटर (इंधन एवं चालक सहित) पर चयनित L1 एजेन्सी को local अथवा outstation यात्रा हेतु कार्य लिया जायेगा। निविदा में L1 दर का निर्धारण मासिक दर एवं दैनिक दर पर अलग –अलग के आधार पर किया जायेगा, जिसमें दैनिक दर पर अतिरिक्त किलोमीटर का दर L1 उद्धृत करने वाले निविदादाता के दर को L1 पर विचार नहीं किया जायेगा। परन्तु मासिक दर पर चयनित L1 एजेन्सी अतिरिक्त किलोमीटर के भुगतान के योग्य होगें, जिनका निर्धारण इस निविदा के माध्यम से होगा ।

3. यदि चयनित एजेन्सी L1 एकरारनामें के शर्तों को पूरा करने में असफल अथवा इन्कार करते है, तो विश्वविद्यालय L1दर पर चयनित एजेन्सी के स्थान पर मासिक भाड़े पर लेने हेतु L2 अथवा L3 से L1 के दर पर एकरारनामा करने हेतु स्वतन्त्र होगा तथा L1 चयनित एजेन्सी का EMD की राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

4. प्रपत्र में निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर, निविदादाता का पता एवं निविदादाता का मोबाईल नं० के साथ–साथ फर्म का मुहरांकन स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए ।

5. विहित प्रपत्र में उक्त सूचनाओं के साथ स्पष्ट दर अंकित नहीं होने पर उनके निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।

विकुश्री

(ग) अन्य शर्ते

1. मासिक भाड़े पर न्यूनतम दो (02) एवं दैनिक भाड़े पर कम से कम 10–15 वाहन आपूर्ति आदेश के 1घंटे के अंन्दर उपलब्ध कराना होगा।
2. अनुबंध प्रारम्भ में 12 माह की अवधि के लिए होगा, जो समान नियमों एवं शर्तों पर संतोषजनक सेवाओं के आलोक में नियमानुसार आगे की अवधि हेतु क्रमश एक –एक वर्ष अधिकतम दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
3. निविदादाता का प्रधान/शाखा का कार्यालय पटना में होना चाहिए।
4. निविदादाता को 01 पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) प्रतिनियुक्त करना होगा, जो हमेशा विश्वविद्यालय के सम्पर्क में रहेंगे एवं वाहन का निरीक्षण फोन/व्हॉटसएप के माध्यम से करते रहना सुनिश्ति करेंगे कि वाहन निर्धारित समय एवं निर्धारित स्थल पर पहुँचा अथवा नहीं।
5. वाहन आपूर्तिकर्त्ता को इस आशय का प्रमाणपत्र देना होगा कि एकरारनामा होने पर उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये चालक के विरूद्ध किसी प्रकार का Criminal Case/Police records में नाम दजे नहीं हो।
6. आपूर्तिकर्त्ता को प्रतिनियुक्त वाहन चालकों का नाम एवं पूरा पता (प्रारूप) संलग्न करना होगा।
7. प्रतिनियुक्त चालक के पास वाहन चलाने का न्यूनतम 03 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जो ड्राईविंग लाईसेन्स जारी करने की तिथि से सत्यापाति होना चाहिए।
8. यदि सेवा की गुणवत्ता असंतोषजनक पायी जाती है या किसी अन्य कारणों से 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर इस विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।
9. निविदा/बिड स्वीकार करने पर सेवाप्रदाता को अनुबंध की पूरी अवधि के मूल्य के 7.5% के समतुल्य राशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से Fixed Deposit Receipt (FDR) अथवा बैंक गारंटी के रूप में Performance Security जमा करना होगा। Performance Security अनुबंध के पूरा होने की तिथि से कम से कम 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रहना चाहिए।
10. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन नये होंगे। वाहन तीन वर्षों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। वाहन उस सेगमेन्ट में शीर्ष मॉडल होना चाहिए एवं एयर बैग, एबीएस (ABS) आदि जैसी सुरक्षा सुविधाएं होनी चाहिए।
11. मासिक वाहनों की कभी–कभी शनिवार/रविवार/राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी वाहन की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

11. विश्वविद्यालय के पास निविदा रद्द करने, नियम एवं शर्तो को बदलने एवं इस निविदा से संबंधित हर तरह के निर्णय लेने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

12. उक्त सभी वाहन में अग्निशमन उपकरण के साथ सुसज्जित होने चाहिए एवं सीट पर तौलिया लगा होना चाहिए ।

13. यह सुनिश्चित हो कि वाहन के विद्युत कनेक्शन, लाईट, हॉर्न, मोड़ सूचक लाईट, एयरकंडीशनर एवं वाहन के अन्य उपकरणीय सिस्टम अच्छी स्थिति में हो तथा समय–समय पर इसकी जाँच होनी चाहिए जिससे विश्वविद्यालय को किसी प्रकार की असुविधा न हो ।

14. वाहन को विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा बताये गये नियत स्थान पर खड़ा होना चाहिए। यदि वाहन को पेट्रोल भरवाने, रिपेयरिंग इत्यादि के लिये बाहर ले जाने की जरूरत हो तो सेवा प्राप्तकर्ता को जानकारी में देकर ही ले जाना होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उस समय वाहन सेवा प्राप्तकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया एवं इसके लिये वाहन आपूर्तिकर्ता पर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, जो उस दिन के किराये का 20% तक हो सकता है।

15. वाहन में मोबाईल चार्जर तथा स्वच्छ वायु द्वारा ताजगी महसुस होने वाला यंत्र लगा होना चाहिए

16. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये वाहन का RC, Insurance, PUC, चालक के Driving Licence एवं चारित्रिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति विभाग में जमा करना होगा।

17. लॉग बुक विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये फारमेट में ही Maintain करना पड़ेगा।

18. सफल निविदादाता निविदा प्राप्त करने के 01 महीने के भीतर अलग से 1,000/– (एक हजार रूपये) Judicial Stamp Paper पर एक एकरारनामा करना होगा। एकरारनामा न करने पर अगला भुगतान रोक दिया जायेगा ।

19. किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा पटना जिला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा ।

(छ) <u>प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी का दायित्व :–</u>

वाहन आपूर्तिकर्ता वाहन पर प्रतिनियुक्त किये जाने वाले चालक एवं कर्मी द्वारा संपादित कार्यों के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेवार हेगें :–

1. चालक अपना कार्य विनम्रतापूर्वक संपादित करेंगे एवं दूसरे कर्मी से भी उनका व्यवहार विनम्रतापूर्वक होगा। ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्त चालक पर संविदा की शर्तों के अनुसार दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। ऐसी गलती बार–बार दोहराने पर एवं निम्नांकित व्यवहार के कारण सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा :–

(क) कार्यावधि के दौरान चालक का कर्तव्य से इंकार करना यदि, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी या विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया जाता हो ।

(ख) असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना ।

2. चालक के पास एक मोबाईल, वैध नम्बर के साथ होना चाहिए, जिससे विश्वविद्यालय/पदाधिकारी कभी भी संपर्क कर सके ।

3. किसी भी कारणवश चालक का मोबाईल नंबर परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा विश्वविद्यालय/पदाधिकारी को तुरन्त दी जानी होगी ।

4. चालक अपनी कार्यावधि के दौरान हमेशा विश्वविद्यालय/संबंधित पदाधिकारी के संपर्क में बने रहेंगे ।

5. चालक साफ–सुथरी वर्दी पहनेंगे।

6. चालक किसी भी हालत में शराब पीकर एवं अन्य नशे में धूत होकर कार्य पर उपस्थित नहीं हेगें। यदि ऐसा होता है तो विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा कि वे तुरन्त संविदा को रद्द कर देंगे।

7. विश्वविद्यालय/पदाधिकारी/कर्मी द्वारा प्रतिनियुक्त चालक कर्मी के व्यवहार एवं उनकी वर्दी के संबंध में कोई आरोप सूचित किया जाता है तो वाहन आपूर्तिकर्ता इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे एवं इस पर अविलम्ब समुचित कार्रवई करेंगे ।

8. अनावश्यक बात–चीत एवं कार चालन के समय मोबाईल का उपयोग स्वीकार्य नहीं होगा। आकस्मिकि स्थिति में चालक आदेश लेकर वाहन किनारे खड़ा कर मोबाईल का उपयोग कम–से–कम समय के लिये कर सकते है ।

9. विश्वविद्यालय द्वारा जैसे ही चालक को किसी स्थान पर जाने का निदेश दिया जाये, किसी पदाधिकारी/कर्मी के समक्ष उपस्थित होने या उन्हें Attend करने का निदेश दिया जाता है, तो चालक उस स्थान पर पहुँच कर पदाधिकारी/कर्मी को अपने मोबाईल नम्बर एवं वाहन नंबर की सूचना फोन कर या SMS कर तुरन्त देंगे। मोबाईल एवं SMS पर होने वाला खर्च वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

10. चालक एवं वाहन को तुरन्त तुरन्त बदली नहीं किया जाना होगा। संबंधित बदलाव की सूचना पूर्व में ही वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जानी होगी।

<u>नियमों का अनुपालन एवं कर</u> :–

1. किराया चार्ज में सभी इंधन खर्च, अनुरक्षण कल–पूर्जो सहित एवं चालक तथा कर्मी का वेतन, बीमा का प्रीमियम, सड़क टैक्स आदि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर वाहन पर लगने वाला कर का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा वास्तिविक भुगतान रसीद के आधार पर किया जायेगा।

2. वाहन आपूर्तिकर्ता प्रतिनियुक्त वाहन का व्यापक बीमा Third Party असीमित रिस्क के साथ लेगा। विश्वविद्यालय किसी भी दुर्घटना, आम जनता एवं Third Party को होने वाले नुकसान के लिये जिम्मेवार नहीं होगा ।

3. वाहन आपूर्तिकर्त्ता Third Party द्वारा किया गया वाहन दुर्घटना में वाहन पर सवार विश्वविद्यालय के कर्मी को होने वाले नुकसान के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा।

4. विश्वविद्यालय चालक द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना/अन्य किसी भी नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में चालक तथा वाहन आपूतिकर्ता मोटर वाहन कानून के नियम एवं अधिनियम का पूर्णरुपेण अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे तथा वर्तमान एवं भविष्य में आने वाले सभी नियम एवं अधिनियमों का पालन करेंगे। किसी भी नियम एवं अधिनियम के उल्लघंन/त्रुटि के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेवार नहीं होगा।

5. वाहन आपूर्तिकर्ता श्रम कानुन विशेष कर न्युनतम मजदुरी अधिनियम, मजदुरी भुगतान अधिनियम, भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, Contract Labour (R&A) Act Workman Compensation Act etc. का अनुपालन यथा समय सुनिश्चित करेंगे। वाहन आपूर्ति के कर्मी चालक विश्वविद्यालय में कर्मी नहीं माने जायेंगे। अतः उपर्युक्त नियमों का पालन करना वाहन आपूर्तिकर्ता की जिम्मेवारी होगी।

6. वाहन आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किये गए वाहन को किसी भी स्थिति में विश्वविद्यालय के निर्देश के बिना किसी अन्य कार्य हेतु प्रयोग नहीं करेंगे। जितने दिन के लिये ऐसा करते पाये जायेंगें उससे दोगुने दिन के लिए Pro-Rata Basis पर मासिक भाड़ा में से दण्ड स्वरूप राशि की कटौती की जायेगी।

7. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा चालक को राज्य मोटर वाहन अधिनियम (अद्यतन संशोधित) के आलोक में वर्दी एवं फोटो पहचान पत्र अपने खर्च पर उपलब्ध कराया जायेगा।

8. विश्वविद्यालय की माँग पर वाहन आपूर्तिकर्ता वाहन Tracking System उपलब्ध करायेंगे एवं यात्रा का रिकॉड/डाटा आगमन से प्रस्थान तक माइलेज के साथ उपलब्ध करायेंगे। माईलेज की गिनती यात्रा आरंभ स्थान से की जायेगी न की कोई अतिरिक्त स्थान से।

9. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल जो नियमों एवं शर्तों के आलोक में हो समर्पित किया जायेगा एवं विश्वविद्यालय वाहन आपूर्तिकर्ता को बिल की राशि में, यदि दण्ड स्वरूप कोई कटौती किया जाना आवश्यक हो, उसकी कटौती करते हुए भुगतान करेगा।

10. Toll Tax, Octroi, Parking Charges And Other statutory levies जो यात्रा के दौरान प्रभावी हो, का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत बिल/कैस मेमो/मान्य क्रय के आधार पर किया जायेगा।

11. मासिक/दैनिक भुगतान की राशि में से नियमानुसार GST- TDS, Income Tax-TDS एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित करों की विहित दरों से कटौती की जायेगी।

12. वाहन आपूर्तिकर्त्ता को किसी भी मामले में अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।

अतिरिक्त कि०मी० का भुगतानः–

1. यात्रा की दुरी की गिनती यात्रा आरंभ के स्थान से की जायेगी। यात्रा के लिए गैरेज से या गाड़ी के रात्रि में जहाँ रखा जाता है वहीं से यात्रा आरंभ की दूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

2. प्रतिदिन नियत समय पर आवश्यकतानुसार माँग किये जाने पर वाहन को विश्वविद्यालय कार्य के लिए व्यवहार करना शुरू करेंगे उस समय का कि०मी० संख्या लॉग बुक में दर्ज करेंगे एवं कार्य समाप्त होने उपरांत पुनः कि०मी० संख्या लॉग बुक में दर्ज करके संबंधित पदाधिकारी/कर्मी का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे ।
3. वाहन आपूर्तिकर्ता सप्ताहिक अवकाश एवं राजकीय अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता पड़ने पर एवं सूचित किये जाने पर वाहन को परिचालित करने हेतु चालक का वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य माध्यम से वाहन की व्यवस्था की जायेगी एवं ऐसा करने पर जो खर्च आयेगा उस राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्ता को दिये जाने वाले मासिक भुगतान की राशि से की जायेगी।
4. वाहन आपूर्तिकर्ता एवं संस्थान के किसी व्यक्ति को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। जिनसे विश्वविद्यालय द्वारा संपर्क किया जायेगा।

5. जब भी जितनी संख्या में वाहन की माँग की जायेगी फर्म/संस्था को उतनी ही संख्या में निर्धारित समय के अंदर माँग के अनुरूप वाहन उपलब्ध कराना होगा ।

निविदादाता का हस्ताक्षर..

निविदादाता का नाम..

मुहर..

Annexure

भाड़े पर वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा का प्रपत्र

वित्तीय निविदा प्रारूप 'क' वाहन का मासिक दर (ईंधन एवं चालक साहित)			
क्र० सं०	वाहन का विवरण	1500 कि०मी० प्रति माह (Without GST) (A)	1500 कि०मी० के बाद प्रति कि०मी० दर (Without GST) (B)
1.	इनोभा क्रिस्टा/टाटा सफारी/समकक्ष (ए०सी०)	@RS....................	@RS....................
2.	स्कार्पियों/समकक्ष (ए०सी०)	@RS....................	@RS....................
3.	स्वीफ्ट डिजायर/समकक्ष (ए०सी०)	@RS....................	@RS....................

चयन का आधार :– 1500 कि०मी० प्रति माह (Without GST) के संदर्भ में न्यूनतम दर कोट करने वाले फर्म/एजेन्सी को L1 माना जायेगा।

वित्तीय निविदा प्रारूप 'ख' दैनिक भाड़े पर लिये जाने वाले वाहन का दर (ईंधन एवं चालक साहित) 150 KM Minimum		
क्र० सं०	वाहन का विवरण	Basic Rate per KM (Without GST)
1.	इनोभा क्रिस्टा/टाटा सफारी/समकक्ष (ए०सी०)	@RS....................
2.	स्कार्पियों/समकक्ष (ए०सी०)	@RS....................
3.	स्वीफ्ट डिजायर/समकक्ष(ए०सी०)	@RS....................

निविदादाता का हस्ताक्षर..

निविदादाता का नाम..

मुहर..